न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोईवाला, जिला देहरादून।
सी0जी0नं0–445/2022
श्रीमती हरजिन्दर कौर बनाम श्रीमती दलजीत कौर।

दिनांक–13–02–2023

पत्रावली पेश हुई। पूर्व नियत तिथि पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार की तलबी पर बहस सुनी गयी। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है।

2– संक्षेप में, परिवादिनी का कथन है कि परिवादिनी विपक्षी की सास है, परिवादिनी अक्सर बीमार रहती है। परिवादिनी की 3 सन्तान, क्रमशः सर्वजीत कौर, रणजीत सिंह, रणदीप सिंह है, वर्तमान में तीनों संतानों का विवाह हो गया है। परिवादिनी द्वारा अपने छोटे पुत्र रणदीप का विवाह दिनांक 14/10/2018 को सिक्ख धर्म के रिवाज के अनुसार दलजीत कौर पुत्री गुरदीप सिंह के साथ सम्पन्न कराया था। विवाह के पश्चात से ही विपक्षी का व्यवहार अपने सास–ससुर के विरूद्ध बेहद कठोर होता चला गया। विपक्षी के द्वारा हर छोटी–छोटी बातों को लेकर झगड़ा फसाद करना शुरू कर दिया। विपक्षी द्वारा परिवादिनी के पुत्रवधू होने के नाते घर के कार्यों में सहयोग देना बन्द कर दिया और ना ही परिवादिनी व उसके पति की किसी भी प्रकार से सेवा–टहल किया करती थी। विपक्षी उत्तराचल पॉवर कॉरपोरेशन लि0 लच्छीवाला जिला देहरादून में कार्य करती है, जिस वजह से कार्य समाप्ती के पश्चात देर रात घर आती थी, जब परिवादिनी द्वारा देर से आने की वजह पूछते, तो विपक्षी भड़क जाती व गाली–गलौच एवं मारपीट करने पर उतारू हो जाती। विपक्षी अपने पढ़े लिखे होने व बिजली विभाग में ऊंचे पद पर कार्य करने के कारण घर का काम करने व परिवादिनी एवं अपने बूढ़े ससुर की बुढ़ापे में सेवा–टहल करने से इंकार कर लड़ाई–झगड़ा करती तथा पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर सबक सिखाने की धमकी बार–बार देती। विपक्षी विवाह के पश्चात से लगातार परिवादिनी व अपने ससुर के साथ गाली–गलौच व मारपीट कर, जान से मार देने की धमकी देकर परिवादिनी व अपने ससुर की स्वअर्जित सम्पूर्ण सम्पत्ति अपने नाम कराने का नाजायज दबाव बनाती है। ऐसा ना करने पर पुलिस से झूठी शिकायत पत्र देने की धमकी देकर परिवादिनी अपने ससुर का बुढ़ापा खराब करने की धोंस देती है। जब भी परिवादिनी का पुत्र व विपक्षी का पति विपक्षी के दोषपूर्ण व आपराधिक कृत्य व व्यवहार को रोकने का प्रयास करता है, तो विपक्षी परिवादिनी के पुत्र यानि अपने पति रणदीप सिंह के साथ भी गाली–गलौच कर मारपीट करती है तथा अपने पति को यह धमकी देती है कि यदि मेरे मामले में कुछ बोला, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कई झूठे मुकदमें कर जेल में तुमकों डलवा दूंगी। जिससे परिवादिनी का पुत्र चाहकर भी कोई मदद अपने माता–पिता की नहीं कर पाता है। इसी क्रम में विपक्षी द्वारा अपने पति व परिवार पर कई झूठे मुकदमें दर्ज करवाये, जो अन्त में झूठे पाये जाने के कारण पुलिस द्वारा खारिज किये गये थे। इसी क्रम में कई मामले पंचायत के सामने पहुंचे, जिसमें विपक्षी द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर पुनः उक्त व्यवहार व कार्य ना करने की सहमति देकर माफी मांगी गयी थी, परन्तु विपक्षी बार–बार परिवादिनी व उसके पति संग लड़ाई–झगड़ा, मारपीट कर योजना बनाकर नये–नये आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रही है।

इसी क्रम में कई बार की तरह जून माह 2019 को विपक्षी द्वारा परिवादिनी व अपने ससुर के साथ लड़ाई–झगड़ा कर मारपीट करते हुये परिवादिनी व अपने ससुर को ही उनके निवास/घ ार से जबरन 15 दिनों तक घर से बाहर निकालकर घर पर कब्जा कर लिया था। परिवादिनी द्वारा पंचायत बुलाकर बड़ी मुश्किलों के पश्चात अपने घर में वापस आयें। जिसमें पंचायत के आदेश पर विपक्षी द्वारा पुनः ऐसा ना करने का वचन दिया था। विपक्षी द्वारा दिनांक 25.01.021, 20.06.2021, 01.07.2021 आदि बार लड़ाई–झगड़ा, मारपीट की गई, जिसकी शिकयत परिवादिनी व उसके पति द्वारा थाना डोईवाला व एस0एस0पी0 देहरादून में की गयी, परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही विपक्षी के विरूद्ध नहीं की गयी। इसी क्रम में दिनांक 25.10. 2022 को सुबह 9:30 बजे, विपक्षी द्वारा परिवादिनी संग गाली–गलौच, मारपीट व जान से मार देने की धमकी देकर जानलेवा प्रहार किया, जिसमें परिवादिनी को गम्भीर चोटें आयी तथा कमर की हड्डी पर गम्भीर गुम चोटें आयी, जिसका मेडिकल सरकारी अस्पताल डोईवाला में दिनांक 25.10.2022 को उसी दिन कराया गया, जिसकी शिकायत थाना डोईवाला में की गयी, परन्तु पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही विपक्षी के विरूद्ध नहीं की गयी। विपक्षी परिवादिनी व उसके पति के विरूद्ध अत्यधिक उग्र हो गयी है तथा लगातार उग्र व्यवहार कर परिवादिनी व उसके पति के साथ आगे भी गम्भीर हानि पहुंचा सकती है। अतः परिवादिनी द्वारा विपक्षी को तलब कर, दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3– परिवादिनी हरजिन्दर कौर ने धारा 200 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं को परीक्षित कराया एवं धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत रणदीप सिंह को सी0डब्लू0 1 एवं बरियाम सिंह को सी0डब्लू0 2 के रूप में परीक्षित कराया गया। इसके साथ ही अर्जुन सिंह एवं रणदीप सिंह के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

4– परिवादिनी द्वारा अपने परिवादपत्र के समर्थन में शपथपत्र, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला, जिला देहरादून को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांकित 25.10.2022 की फोटोप्रति, मेडिकल की फोटोप्रति, श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस, सचिवालय मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांकित 28.10.2022 की फोटोप्रति, मूल फोटोग्राफस इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

5– परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित कथन करते हुए, न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद योजित किया गया।

7– न्यायालय द्वारा परिवादिनी व उक्त गवाहों के बयानों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। परिवाद पत्र के कथनों का परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 से प्रथमदृष्टया समर्थन होता है। **इसके साथ ही धारा 202 द0प्र0सं0 में परीक्षित कराये गये गवाह सी0डब्लू0 1 रणदीप सिंह ने अपने बयानों में, अन्य कथनों के साथ कथन किया है कि,** *''इसकी शादी दि0 14/10/18 को दलजीत कौर*

के साथ हुई थी। मेरे ड्यूटी जाने के बाद वह मेरे माता–पिता को परेशान करती। गाली–गलौच करती और एक–दो बार उन्हें मारा, किन्तु हमने कोई मेडिकल नहीं कराया, ना ही पहले कोई कम्प्लेंट की और बाद में दलजीत कौर ने कहा कि, ''तू अपने मां–बाप को घर से निकाल दे, पूरे घर में मैं ही रहूंगी।'' फिर दलजीत ने मेरे माता–पिता को गाली–गलौच करके, मारपीट कर, घर से निकाल दिया और धमकी दी थी कि अगर यहां से नहीं जा रहे, तो जान से मार दूंगी। उसने उस वक्त मम्मी का गला भी पकड़ लिया था। मैं ड्यूटी गया हुआ था, शाम को आया, तो मेरी पत्नी ने मुझसे भी मारपीट की और कहा कि इन्हें यहां से भगा, उस वक्त मेरे माता–पिता अपना सामान पैक कर रहे थे। फिर मेरे मां–बाप 10–15 दिन बाहर हिमाचल पोंटा साहिब गुरूद्वारे में रहे। उसके बाद पंचायत के माध्यम से माफी मंगवायी। मेरे मां–बाप ने उससे माफी मांगी, तब दलजीत ने कहा कि वो इन्हें घर में रहने देगी। फिर कुछ दिनों बाद दलजीत ने दुबारा झगड़ा किया। झगड़ा मेरे मां–बाप के साथ किया, गाली–गलौच किया, तो मेरे मां–बाप ने पुलिस को फोन किया। जब वहां पुलिस पहुंची, तब दलजीत ने कहा कि अब वो सबको दहेज के केस में फंसायेगी। फिर उसने केस किया, जो झूठा होने के कारण खत्म हो गया। मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष वो खत्म हो गया था। यह मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खत्म हुआ था, उसके बाद दिनांक 25/10/22 को सुबह 9:30 ए 0एम0 के पास मेरी मम्मी के सिर पर दलजीत ने प्लास से मारा। फिर उनको कुर्सी से मारा और उनके बाल पकड़ कर धरती पर गिरा दिया। मैं कमरे में था, बच्चे को खिला रहा था। यह सब आंगन में घटित हुआ था। सड़क से बरयाम सिंह ने आकर देखा कि मेरी मां नीचे गिरी थी उसके ऊपर दलजीत कौर थी। दलजीत ने मेरी मां के बाल मुँह में पकड़े थे, एक हाथ गर्दन पर था, एक हाथ की उंगलियां उनकी बाली में फंसा रखी थी। मां की नाक से खून आ रहा था। फिर बरयाम सिंह ने लड़ाई–झगड़ा छुड़ायी। हल्ले से लोग सड़को व छतों पर आ गये। फिर मैं भी भागकर आया। फिर मैंने और बरयाम सिंह ने दलजीत कौर को बड़ी मुश्किल से अपनी मां के ऊपर से हटाया। अगर वो ना छोड़ती, तो मेरी मां को जान का खतरा है। फिर हमने इसकी शिकायत पुलिस में की। शिकायत मेरे मां–बाप ने की थी, क्योंकि मैं नहीं था। पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। मेरी मां का मेडिकल हमने 25/10/22 को बनाया था। मेरी मम्मी को शरीर के कई हिस्सों में, हाथ में गंभीर चोटें आयी थी।''

8– इसके साथ ही धारा 202 द0प्र0सं0 में परीक्षित कराये गये गवाह सी0डब्लू0 2 बरियाम सिंह ने अपने बयानों में, अन्य कथनों के साथ कथन किया है कि,*''मैं हरजिन्दर कौर व दलजीत कौर का पड़ौसी हूं। मैं इनके परिवार को बचपन से जानता हूं। हरजिन्दर कौर सभ्य और अच्छी महिला है। हरजिन्दर कौर के बेटे व पति भी अच्छे लोग है। हरजिन्दर कौर की बहू दलजीत कौर शादी के बाद ही अपने सास–ससुर व पति के साथ मार पिटाई करती है। मैंने कई बार दलजीत कौर से इनको मार पिटाई से छुड़वाया है। इनकी बहू झगड़ालू महिला है। मैंने इनकी बहू को झगड़ा करते कई बार देखा है। इनकी बहू इन लोगों को अपशब्द भी बोलती है व मारपीट कर लड़ाई झगड़ा भी करती है। मुझे यह सब इसलिये पता है कि मैं इनका पड़ौसी हूं। 25–10–22 को मैं घर से सड़क पर आया। दलजीत कौर*

हरजिन्द्र कौर के ऊपर बैठी एक हाथ में बाल पकड़े थे और एक हाथ से कान की बाली उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। यह झगड़ा जमीन पर गिराकर सामने आंगन पर हो रहा था। दलजीत कौर हरजिन्द्र कौर को जमीन में गिराकर मार रही थी। गर्दन भी दबाई हुई थी। हमने दौड़कर झगड़े को रोकने के लिए दलजीत कौर को हरजिन्द्र कौर के ऊपर से उठाया। इसके पति व बेटे के साथ मिलकर हमने दलजीत कौर से हरजिन्द्र कौर को बचाया। उसके नाक से खून बह रहा था और इसके बाल भी उखड़े हुए थे, जो दलजीत कौर के हाथ में थे, अगर मैं नही बचाता, तो हादसा बहुत गंभीर हो सकता था। ऐसी मारपीट दलजीत कौर ने हमारे सामने अपने सास–ससुर व पति के साथ कई बार की थी और वह झूठा–झूठा मुकदमा करने की धमकी भी देती थी।''

9– इस प्रकार उक्त गवाहों के बयानों से, परिवादपत्र के कथनों को प्रथमदृष्टया समर्थन प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में परिवादपत्र के साथ दाखिल प्रपत्रों प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला, जिला देहरादून को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांकित 25.10.2022 की फोटोप्रति, मेडिकल की फोटोप्रति, श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस, सचिवालय मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांकित 28.10.2022 की फोटोप्रति, मूल फोटोग्राफस इत्यादि से भी परिवाद पत्र के कथनों को प्रथमदृष्टया समर्थन प्राप्त होता है।

10– जहां तक धारा 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध आदेशिकाएं जारी करने से पूर्व मामले की जांच किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा स्वयं ही प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य की जांच कर ली गयी है। अतः इस स्तर पर किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति से मामले की जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

11– उपर्युक्त परिचर्चा से परिवादिनी कथानक की सम्पुष्टि परिवादिनी के बयान एवं धारा 202 द0प्र0सं0 में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत गवाह सी0डब्लू0 1 रणदीप सिंह व सी0डब्लू0 2 बरियाम सिंह द्वारा दिये गये बयानों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। **तद्नुसार विपक्षी श्रीमती दलजीत कौर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 504 व 506 में प्रथमदृष्टया अपराध किया जाना दर्शित होता है।** इस प्रकार विपक्षी के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार है।

आदेश

यह न्यायालय हस्तगत परिवाद में **विपक्षी श्रीमती दलजीत कौर को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 504 व 506 में अग्रेतर कार्यवाही हेतु बतौर अभियुक्ता समन करती है।** अभियुक्ता उपरोक्त की दिनांक 22.03.2023 को न्यायालय उपस्थिति हेतु समन जारी किया जाये। खर्चा परिवादिनी का रहेगा। परिवादिनी धारा 204 द0प्र0सं0 का समुचित अनुपालन करें। परिवादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करें। परिवादिनी इसी मध्य अपनी गवाहान सूची पेश करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्ता दिनांक 22.03.2023 को पेश हो।

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
डोईवाला।